

फर्द अहकाम

आलय सहायक काल वर बस्ती - जयपुर

केचन बनाम बृज मोहन

फर्दमा संख्या/वर्ष : 50 / 2018

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य अंजित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/1/23 को पेश हो।	
	9/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय वीर/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/11/23 को पेश हो।	
	24/1/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/01/24 को पेश हो।	
	25/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य अंजित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 05/3/24 को पेश हो।	
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय वीर/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/4/24 को पेश हो।	
	18/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय वीर/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 31/6/24 को पेश हो।	
	03/06/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय वीर/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/07/24 को पेश हो।	
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अर्पा उपासित/वकील अर्पा अनुपासित।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी

इंचन बनाम वृजमोहन

मुकदमा संख्या/वर्ष 50/18 : 1/20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>वकील जार्जी ने बहल हेतु निवेदन किया वकील जार्जी की प्रार्थना पत्र अस्माई निषेधाज्ञा पर बहल पुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने एवं वकील जार्जी की एकपक्षीय बहस के दौराने जाहिर तप्यो पर मन्न करने के उपरान्त विवादित आराजी ख.न. 115 रुबा 9 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नमरानपुरा पा.ह. करवागढ़ अ.अ.निचुंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उत्रयपक्षों को जरिये अस्माई निषेधाज्ञा से याबद किया जाता है कि उत्रयपक्ष ताफैसला बाद तक उक्त आराजी ख.न. पर मौके एवं रिकोर्ड की प्रभास्मित बनाए रखें।</p> <p>पत्रावली नम्बर से रुम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>(कमिश्नर)</p>